न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 48/2016 (223 आरटीए) गंवरकंवर वगै. बनाम राजस्थान सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2016/00119)

1 गंवरकंवर पत्नी गोकुलसिंह,
2 भंवरकंवर पुत्री गोकुलसिंह,
3 बेबीकंवर पुत्री गोकुलसिह,
4 किशोरसिंह पुत्र गोकुलसिंह,
5 सोहनसिंह पुत्र गोकुलसिंह,
6 महेन्द्रसिंह पुत्र गोकुलसिंह,
7 दिलीपसिंह पुत्र गोकुलसिंह

सभी जाति रावणा राजपूत, निवासीगण ओसियां तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर।
2 ग्राम पंचायत ओसियां जरिए सरपंच (तामील से छूट प्रदान की गई)

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर ओसियां दिनांक 30.05.2016 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 80/2007

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई।
2 रेस्पो. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।।

निर्णय

दिनांक : 23.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर ओसियां के राजस्व वाद सं. 80/2007 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के समक्ष धारा 88, 89, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट्स की ओर से राजस्व वाद सं. 80/2007 इस आशय का पेश किया कि गांव ओसियां के खसरा नंबर 1814 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा अपीलार्थी वादीगण के खातेदारी की भूमि है

तथा इसी खसरे के चिपते खसरा नं. 1813 कुल रकबा 169 बीघा में से 15 बीघा भूमि पर वादीगण अपीलांट का वक्त सेटलमेंट से पूर्व से कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है तथा वादीगण अपीलांट अपने पिता के जीवनकाल के पूर्व से ही काबिज है एवं मौके पर ढाणियां बनी हुई हैं। वक्त पैमाइस उक्त खसरा नं. 1813 रकबा 15 बीघा भूमि राजस्व कर्मचारियों की भूलवश गैर मुमकिन मगरा दर्ज कर दी गई जबकि मौके पर उक्त भूमि खसरा नं. 1814 का भाग है तथा वादीगण अपीलांट की खातेदारी केवल 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज की गई जबकि कुल रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा दर्ज की जानी चाहिए थी। वाद के साथ अपीलांट वादीगण द्वारा नजरी नक्शा पेश किया गया नक्शे में ए–बी–सी–डी–ई–एफ–जी–एच भाग खसरा नं. 1813 का हिस्सा न होकर वादीगण अपीलांट के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 1814 का भाग हिस्सा दर्शाया गया तथा उक्त 15 बीघा भूमि की खातेदारी की मांग की गई। वादीगण का वाद अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर किया तथा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली जबाब में रखी गई। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जबाब पेश किया गया तथा उसके उपरांत पत्रावली में तनकीयात कायम की जानी थी। पत्रावली में दिनांक 20.04.2016 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.06.2016 रखी गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख पेशी से पूर्व ही अपीलार्थीगण को बिना कोई नोटिस दिए राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ओसियां मे दिनांक 30.05.2016 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बाले–बाले पारित कर दिया जिसके विरुद्ध अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत तथा कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलांट के वाद को केवल तहसीलदार के जबाब व रिपोर्ट को आधार बनाकर संपूर्ण निर्णय में केवल तहसीलदार की रिपोर्ट को हूबहू लिखते हुए अपीलांट/वादीगण के वाद को प्राथमिक स्तर पर ही खारिज कर दिया। खसरा नं. 1813 में से 15 बीघा भूमि पर वादीगण का वाद बखूबी साबित था तथा उक्त 15 बीघा भूमि वादीगण के खातेदारी के खसरा नं. 1814 का भाग है वक्त पैमाइस खसरा नं. 1814 का केवल 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि ही वादीगण के खातेदारी में दर्ज की गई वास्तव में वादीगण के खातेदारी में कुल 17 बीघा 16 बिस्वा भूमि अंकित की जानी थी। ये समस्त तथ्य वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य द्वारा साबित किए जाते लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तनकीयात कायम किए बिना कोई साक्ष्य लिए

लोक अदालत कैंप में वादीगण के वाद को खारिज कर दिया जबकि उक्त वाद को तनकीयात कायम की जाकर वादी की साक्ष्य ली जाकर बाद ही निर्णय किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए निर्णय व डिक्री पारित किया गया है उक्त निर्णय व डिक्री केवल इसी आधार पर निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त पत्रावली वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 के जबाब हेतु मुकर्रर थी इसके उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रार्थना पत्र तय किए ही तथा बिना तनकीयात कायम किए तथा बिना कोई साक्ष्य लिए वादीगण के वाद को खारिज कर दिया जबकि वादीण्गा का वाद डिक्री करने के काबिल था। इस प्रकरण में प्रतिवादी का जबाब पत्रावली पर आ चुका था अतः जब प्रतिवादी का जबाब पत्रावली आ गया था तब वाद को बाद साक्ष्य सुनवाई गुणावगुण पर निर्णित करना आवश्यक था। विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1813 किस्म गै.मु. मगरा दर्ज थी इस भूमि बाबत दिनांक 15.12.1988 को मुकदमा नं. 287/88 के द्वारा अपीलांट वादीगण के पिता गोकुलसिंह का दिनांक 01.07.1975 से पूर्व का कब्जा मानते हुए 15 बीघा भूमि नियमन करने की सिफारिश की गई थी इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट वादीगण विवादग्रस्त भूमि पर वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट के पिता के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही करने पर अपीलांअ द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर में अपील संख्या 73/74 गोकुलसिंह बनाम सरकार पेश की जो अपील स्वीकार की गई तथा इसी प्रकार 1975 में भी अपील संख्या 66/75 पेश की वो भी अपील अपीलांट स्वीकार की गई तथा नियमन की सिफारिश को मानते हुए धारा 91 के आदेश को निरस्त किया गया था। विचारण न्यायालय ने बिना मौका रिपोर्ट मंगवाए तथा बिना कोई रिकार्ड देखे तथा बिना कोई साक्ष्य लिए प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए वादीगण के वाद को अपनी मनमर्जी से खारिज करने में भूल की है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में संचिका पर विद्यमान साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को मिस रीड एवं मिस एप्रिसिएट किया है इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी। ने बहस में कथन किया कि यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ओसियां में दिनांक 30.05.2016 को पेश हुआ। यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निस्तारण नहीं करके मैरिट पर किया है। इस प्रकरण में दिनांक 22.05.2008 को

तहसीलदार ओसियां का जबाब पेश हो चुका था तथा पत्रावली अपीलांट के जबाबुल जबाब में नियत थी लेकिन 2008 के बाद 2016 तक कई अवसर दिए जाने के बावजूद जबाबुल जबाब पेश नहीं किया जिससे प्रकरण अनावश्यक लंबित चलता रहा। उसके बाद अपीलांट की ओर से प्रकरण को लंबा करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 प्रस्तुत कर दिया। जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट/जबाब में स्पष्ट किया जा चुका था कि खसरा नं. 1813 रकबा 169 बीघा गै.मु. गोचर भूमि है। वादी ने गलत व झूठा दावा पेश किया है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कदीमी कब्जा नहीं हैं मात्र सरकारी जमीन को हड़पने के लिए अतिक्रमण किया था। नियमन या धारा 91 की अपील का खातेदारी अधिकार से कोई लेना देना नहीं हैं। नियमन की सिफारिश के आधार पर वादीगण खातेदारी का हकदार नहीं हैं कोई निरंतर प्रतिकूल कब्जा नहीं हैं। सार्वजनिक भूमि पर इस प्रकार के अतिक्रमण से खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते। वादग्रस्त भूमि की गै.मु. मगरा से किस्म परिवर्तन होकर गै.मु. गोचर परिवर्तित की जा चुकी है। यह भूमि आबादी के पास होने से गांव के पशु चरने के काम आती है। अतः वादीगण का दावा खारिज किए जाने योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हैं। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा दिनांक 13.07.2007 को दावा प्रस्तुत किया था। वादी के अधिवक्ता ने फार्म नं. 3 के साथ दिनांक 30.7.2008 को दस्तावेज पेश किए। इन दस्तावेजों में वादीगण की ओर से नकल जमाबंदी खसरा नं. 1814 ग्राम ओसियां संवत 2060–63 पेश की गई। जिसके अनुसार खसरा नं. 1813 रकबा 169 बीघा गै.मु. गोचर दर्ज रिकार्ड है। उसके पश्चात प्रकरण में तहसीलदार ओसियां का जबाब भी दिनांक 22.05.2008 को पेश हो चुका था जिसमें भी स्पष्ट किया जा चुका था कि वादग्रस्त भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है। तहसीलदार ओसियां के जबाब पेश करने के बाद पत्रावली को काफी समय तक वादीगण के जबाबुल जबाब में रखा गया परंतु जबाबुल जबाब पेश नहीं किया बल्कि प्रकरण को लंबा करने की दृष्टि से एक प्रार्थनापत्र आदेश 6 नियम 17 प्रतिवादी सं. 1 के जबाब पेश होने के बाद पेश कर दिया। इस तरह प्रकरण में वादीगण की मंशा प्रकरण को लंबा करने की रही है। इस प्रकरण को लोक अदालत कैंप कोर्ट में रखकर निर्णय पारित किया है जिसमें लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित नहीं किया है बल्कि प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं भूमिधारी तहसीलदार ओसियां की रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि इस प्रकार के प्रकरण को लोक

अदालत में निर्णित नहीं किया जा सकता तथा निर्णय बिना सुने पारित किया है। इस संबंध में प्रकरण की प्रकृति पर ध्यान देना आवश्यक है यह प्रकरण गोचर भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने से संबंधित है जो प्रतिबंधित भूमि है। वादीगण द्वारा स्वयं उनकी ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी खसरा नं. 1814 ग्राम ओसियां संवत 2060–63 प्रमाणित है कि खसरा नं. 1813 रकबा 169 बीघा गै.मु. गोचर है। अतः प्रतिबंधित भूमि पर खातेदारी के प्रकरण को मात्र तकनीकी गलतियों के आधार पर नहीं देखा जा सकता बल्कि मैरिट के आधार पर देखना भी आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2016 को केवल मात्र प्रोसीजर की तकनीकी त्रुटियों को आधार बनाकर निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

8 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2016 यथावत रखे जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

23/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

9 निर्णय आज दिनांक 23.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2016/00119)

अपील संख्या 48/2016

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.गंवर कंवर पत्नी गोकुलसिंह 2.भंवरकंवर पुत्री गोकुलसिंह 3.बेबीकंवर पुत्री गोकुलसिंह 4.किशोरसिंह पुत्र गोकुलसिंह 5.सोहनसिंह पुत्र गोकुलसिंह 6.महेन्द्रसिंह पुत्र गोकुलसिंह 7.दिलीपसिंह पुत्र गोकुलसिंह सभी जाति राणवा राजपूत,निवासीगण ओसिया तहसील ओसिया जिला जोधपुर।	बनाम	1.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार ओसिया तहसील ओसिया जिला जोधपुर। 2.ग्राम पंचायत ओसिया जरिए सरपंच(तामील मे छूट प्रदान गई।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवम् डिक्री सहायक कलेक्टर,ओसिया दिनांक 30.05.2016 अन्तर्गत राजस्व वाद सं 80/2007

यह अपील बतारीख 23/07/2018 बहाजरी अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर,ओसिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2016 यथावत रखे जाते है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग .....00.....) रूपये .....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का .....00..... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 23.07.2018 को जारी हो किया गया।

23/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान		1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनतामा मीजान	

23/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर